अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
c 3/8/23	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **पटाखा लाइसेंस अपील वाद सं०– 29/22** **मो० इकबाल हसन एवं अन्य** **बनाम्** **झारखण्ड सरकार एवं उपायुक्त, राँची** **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। यह पटाखा लाइसेंस अपील आवेदक मो० इकबाल हसन पिता– स्व० अबूल हसन एवं अन्य निवास– बाजार मोहल्ला–डोरण्डा, जिला– राँची द्वारा दिनांक–23.08.2022 को उपायुक्त, राँची द्वारा Explosive Licence No. 20/86 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी विद्वान अधिवक्ता को सुना। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची के आदेश ज्ञापांक–1765;पपद्ध, दिनांक–23.08.2022 में स्पष्ट उल्लेख हे कि जिस स्थल पर दुकान अवस्थित है, उस सड़क पर भारी वाहन नहीं जा सकता तथा दुकान के उपर आवासीय भवन है। The Explosive Rules 2008 के नियम 83 में अंकित शर्त्तों के अनुसार ऐसे स्थल के लिए पटाखा अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया जा सकता है। उपर्यक्त परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकृत किया जाता है। 3/8/23 प्रमण्डलीय आयुक्त। लेखापित एवं संशोधित। 3/8/23 प्रमण्डलीय आयुक्त।	

Digitally signed by MANOJ JAISWAL
Date: 2023.08.28 01:35:58 -07:00
Location: 10.93.73.188